22.12.2017 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा कस्बा गर्बी टोंक प्रार्थीगण के पिता की भूमि है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनकी विरासत मे प्रार्थीगण के नाम का राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हुआ है। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ लगवा ही अप्रार्थी की भूमि ख.न. 3085/1 दक्षिणी ओर ख.न. 3084 है।अप्रार्थी जबरन मेड तोडकर प्रार्थीगण की भूमि मे मजाहमत करते है। अतः अप्रार्थी को वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी , किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि मे मजाहमत नही करे ,जबरन कब्जा करने का प्रयास नही करे।

हमने लायक वकील प्रार्थीगण वादीगण को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–69 से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार चतरा के वारिसान प्रतीत होते है तथा विवादित भूमि से अप्रार्थी का कोई संबंध प्रतीत नही होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुवधिा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। यदि वाद निर्णय तक उक्त विवादित भूमि मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थनापत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। अतः वाद निर्णय तक प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित है।

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा टोक गर्बी, तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, दोनो पक्षो को अपनी अपनी भूमि की हद तक पाबन्द किया जाता है। दोनो पक्ष एक दूसरे की खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करेंगे तथा कब्जा नही करेंगे। अपनी अपनी भूमि की हद तक पाबन्द रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner